C⚡PTCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
CIN-U40108CT2003SGC015820
GST No. – 22AADCC5773E1ZX

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ भासन का एक उपक्रम)
CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR
छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेशण केन्द्र, रायपुर
दूरभाश PHONE: 0771– 2574172, *फैक्स FAX NO. 0771-2574174,*
Web Site: www.sldccg.com email: ra.csldc@sldccg.com

PUBLIC NOTICE

In compliance to the relevant provisions under Section 62 and 64 of Electricity Act, 2003, and of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, and CSERC (Terms and Conditions for determination of Multi-Year Tariff) Regulations, 2025, Chhattisgarh State Load Despatch Center (CSLDC) has filed a Petition for Determination of Aggregated Revenue Requirement (ARR) for control period from FY 2026-27 to FY 2029-30 along with final true-up of ARR for FY FY 2024-25. This petition is registered as petition no. 08/2026. ARR for FY 2026-27 to FY 2029-2030 along with true-up of FY 2024-25, are given below –

SLDC Charges for the Period FY 2026-27 to FY 2029-30 (Rs. Crores)

(SLDC, CSPTCL) Aggregated Revenue Requirement (ARR) (all figures in Crores)					
	Particulars	FY 2026-27	FY 2027-28	FY 2028-29	FY 2029-30
1	Aggregated Revenue Requirement	36.74	57.87	65.99	66.91
2	Adjustment of (Surplus)/Deficit of FY 2024-25 after considering carrying cost	(5.23)			
3	**Adjustment of AAR for FY 2025-26 (A)**	31.51	57.87	65.99	66.91
4	System Operation charges (B)	25.21	46.30	52.79	53.53
5	Intra- State Market Operation Charges (C)	6.03	11.57	13.20	13.38
6	**Total SLDC Charges A = (B+C)**	**31.51**	**57.87**	**65.99**	**66.91**

Copy of the petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulation Commission’s office, New Shanti Nagar, Raipur and office of the State Load Despatch Center’s Office at Dangania, Raipur, which can be obtained on any working day on payment of Rs. 100/-. The same may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs. 50/-. Copy of this notice and the petition are also available on website www.cserc.gov.in.

Objections/suggestions relating to the petition may sent to the office of Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Regulation Commission’s office, Shanti Nagar, Raipur and/or Chief Engineer, SLDC at Dangania, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. Objections /suggestions may also be sent to email cserc.sec.cg@nic.in. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspaper.

Chief Engineer
SLDC, CSPTCL,Raipur
(C.G.)

C⚡PTCL छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड CIN-U40108CT2003SGC015820 GST No. – 22AADCC5773E1ZX	CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर *दूरभाष PHONE: 0771- 2574172,* *फैक्स FAX NO. 0771-2574174.* Web Site: www.sldccg.com email: ra.csldc@sldccg.com

आम–सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 62 व 64 एवं उनके अन्तर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छराविनिआ) (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 तथा छराविनिआ (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025, के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के वास्तविक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ट्रू–अप) एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 से वित्तीय वर्ष 2029–30 के नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया गया है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 08/2026 के रूप में पंजीकृत किया गया है। याचिका के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वित्तीय वर्ष 2024–25 के वास्तविक वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ट्रू–अप) एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 से वित्तीय वर्ष 2029–30 के एसएलडीसी शुल्क एवं प्रभार का विवरण निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र
वर्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर)
(सभी राशि करोड़ रूपये में)

कमांक	विवरण	सत्र 2026–27	सत्र 2027–28	सत्र 2028–29	सत्र 2029–30
1	वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	36.74	57.87	65.99	66.91
2	वित्तिय वर्ष 2024–25 का केरिंग कॉस्ट सहित राजस्व (आधिक्य)/हानि का समायोजन (वित्तीय वर्ष 2025–26 तक)	(5.23)			
3	**वित्तिय वर्ष 2025–26 के लिए समायोजित वार्षिक राजस्व आवश्यकता–A**	31.51	57.87	65.99	66.91
4	तंत्र संचालन शुल्क–B	25.21	46.30	52.79	53.53
5	अंतर्राज्यीय बाजार संचालन शुल्क–C	6.03	11.57	13.20	13.38
6	**कुल भार प्रेषण शुल्क–A= (B+C)**	**31.51**	**57.87**	**65.99**	**66.91**

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर के कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर के मुख्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवस में रू. 100/– का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रू.50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति वेबसाईट www.sldccg.com तथा www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक पक्षकार अपनी आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना के प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, पिन–492001 (E-mail: cserc.sec.cg@nic.in) एवं/या मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, डंगनिया, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपरोक्त याचिका पर जनसुनवाई हेतु स्थान, दिनांक एवं समय पृथक से समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा।

मुख्य अभियन्ता राज्य भार प्रेषण केन्द्र
छ.ग.रा.वि.ट्रासं.कं.लि.,रायपुर